

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

-: सेवानिवृत्ति आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाध्यापक-मावि व समकक्ष पद के शिक्षा अधिकारियों को, सेवा-नियम 1951 के उप नियम-56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ.1(6) एफडी/नियम/98 दिनांक 28-12-1998, प.1 (6) वित्त/नियम/98 दिनांक 24-05-2004 एवं प.12 (6) वित्त/नियम/20087 जयपुर दिनांक 24-03-2015 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत उनके द्वारा (60 वर्ष की) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर, उनके नाम के सम्मुख अंकित सेवानिवृत्ति-तिथि से, सरकारी-सेवा से अपरान्ह सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्रं.सं	नाम शिक्षा अधिकारी सर्व श्री/श्रीमती.....	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
01	रामेश्वर सिंह चौधरी, उप जिशिअ-शा.शिक्षा	कार्यालय शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अजमेर-संभाग, अजमेर	07-01-1958	31-01-2018
02	श्री नानालाल मीणा, प्रधानाध्यापक	रामावि० गतराली- खैरवाडा जिला उदयपुर	08-09-1957	30-09-2017
03	श्री शम्भू दयाल गुप्ता, प्रधानाध्यापक	रामावि लहचौडा हिण्डौन जिला करौली	01-10-1957	30-09-2017
04	श्री भैवाराम सोलंकी, प्रधानाध्यापक	रामावि० कंचनपुरा कुम्हेर भरतपुर	24-12-1957	31-12-2017
05	श्रीमती अमिता सुईवाला, प्रधानाध्यापक	रामावि० गुजूकी-रामगढ जिला अलवर	14-01-1958	31-01-2018
06	श्री जयलाल मीना, प्रधानाध्यापक	रामावि० फूलेला बान्दीकुई दौसा	25-12-1957	31-12-2017
07	श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, प्रधानाध्यापक	रामावि० ईशरकाबास बानसूर जिला अलवर	07-12-1957	31-12-2017

उपरोक्त उल्लेखित कार्मिकों के सम्बन्ध में यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध आज दिनांक तक -

- 01 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- 02 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- 03 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।


(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा-मा/संस्था/बी-1/सेवानिवृत्ति/45001/2017-18

दिनांक : 25/10/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक/ प्रारंभिक शिक्षा)
- 02 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा/ नियन्त्रण अधिकारी को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश में उल्लेखित प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष अधिकारियों से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही, आगामी कार्यवाही अमल में लावे।
- 04 सम्बन्धित सयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
- 05 सिस्टम एनॉलिस्ट (सयुक्त निदेशक) कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालया हाजा।
- 06 सम्बन्धित संस्था प्रधान/ कार्यालयाध्यक्ष
- 07 सम्बन्धित कार्मिक/निजी पत्रावली।


सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय का पता :- निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
E-mail I.D. absecsecedu@gmail.com

Telephone NO. 0151-25 23 666
Fax NO. 0151- 22 01 861

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

-: सेवानिवृत्ति आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि व समकक्ष पद के शिक्षा अधिकारियों को, सेवा-नियम 1951 के उप नियम-56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ.1(6) एफडी/नियम/98 दिनांक 28-12-1998, प.1 (6) वित्त/नियम/98 दिनांक 24-05-2004 एवं प.12 (6) वित्त/नियम/20087 जयपुर दिनांक 24-03-2015 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत उनके द्वारा (60 वर्ष की) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर, उनके नाम के सम्मुख अंकित सेवानिवृत्ति-तिथि से, सरकारी-सेवा से अपरान्ह सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्रं.सं.	नाम प्रधानाचार्य - उमावि सर्व श्री.....	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
01	प्रभूदान राव, अतिरिक्त जि०शि०ओ	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जिला- जालोर	25-03-1958	31-03-2018

उपरोक्त उल्लेखित कार्मिकों के सम्बन्ध में यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध आज दिनांक तक -

- 01 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- 02 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- 03 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।



(नथमल डिलेल)

आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा-मा/संस्था/बी-2/सेवानिवृत्ति/45002/2017-18 दिनांक : 25/10/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक/ प्रारंभिक शिक्षा)
- 02 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा/ नियन्त्रण अधिकारी को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश में उल्लेखित प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष अधिकारियों से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही, आगामी कार्यवाही अमल में लावे।
- 04 सम्बन्धित सयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
- 05 सिस्टम एनॉलिस्ट (सयुक्त निदेशक) कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालया हाजा।
- 06 सम्बन्धित संस्था प्रधान/ कार्यालयाध्यक्ष
- 07 सम्बन्धित कार्मिक/ निजी पत्रावली।


सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

प्रारूप -6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

सेवानिवृत्ति-आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत है को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृत्ति की तारीख) से सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-5 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/ राबाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	सुश्री सुधा शर्मा, रा.उ.मा.वि. बयाना भरतपुर	रसायन विज्ञान	03.02.1958	28.02.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-19 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(Handwritten Signature)

(नथमल डेबेल)

आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 25/10/2017

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-4/15601/सेवानिवृत्ति/17-18/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान भरतपुर
2. संबंधित उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग भरतपुर
3. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, भरतपुर
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, संबंधित संस्था प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रूपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अद्वैत प्रमाण पत्र जारी करें।
5. संबंधित प्राध्यापक सुश्री सुधा शर्मा, व्या. रसायन विज्ञान, रा.उ.मा.वि. बयाना भरतपुर
6. सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ
7. निजी/रक्षित पत्रावली

(Handwritten Signature)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर


कार्यालय-आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अंतर्गत श्रीमती अनुसूया गुप्ता, प्राध्यापक (रसायन विज्ञान) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर जिनकी जन्मतिथि 19.06.1960 है। इन्होंने नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक 30.11.2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है।

श्रीमती अनुसूया गुप्ता, प्राध्यापक (रसायन विज्ञान) द्वारा 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएं एवं 45 वर्ष आयु दोनों शर्तें पूर्ण करते हैं। अतः राजस्थान सिविल सेवा(पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 30.11.2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्रीमती अनुसूया गुप्ता, के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डेडेल)

आई.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 25/10/2017

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगू/15601/से.नि./16

पत्तिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान जयपुर
2. संबंधित उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
3. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर
5. संबंधित संस्था प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अद्वैय प्रमाण पत्र जारी करें।
6. संबंधित प्राध्यापक श्रीमती अनुसूया गुप्ता, प्राध्यापक (रसायन विज्ञान) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
7. सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ
8. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर